न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

31/2022

श्री योगीनाथ पुत्र गोपीनाथ निवासी वार्ड नं. 1सोप तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.08.2022**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2022 प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

दिनांक 29.03.2022 को प्रार्थी द्वारा श्रीमान को शिकायत–पत्र पेश किया गया था उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करत हुए मुल्जिमों द्वारा अवेध पक्का निर्माण करने बाबत। शिकायत पत्र पर श्रीमान द्वारा आदेश की सत्यापित प्रति व अब तक की कार्यवाही की सत्यापित प्रति। 29 मार्च 2022 को प्रस्तुत शिकायत पत्र आदेश की प्रति व कार्यवाही की सत्यापित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र किमांक 726 दिनांक 19–7–2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा उनके पत्र कमांकः 720 दिनांक 25–07–2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांकः 561 दिनांक 01–07–2022 से सूचित किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:31:59 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)